

FORM NO. III

फॉर्म अहकम

(नियम 26)

न्यायालय सपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला-भीलवाड़ा  
दोहा

बनाम

प्रकरण संख्या 50/23

मुकदमा धारा 53 RTA

MS नम्बर:- 2023/243

नम्बर न तारीख अहकम जो इस दुबम की तारीख में जारी हुए	हुबम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>प्रस्तुत कावची अहसास स्वीकार है। जायेंगे। 16/9/23</p>	<p>गुरु पञ्चवली घरा इरी वारी अधिवक्ता द्वारा जज बेटवाड़ा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। पञ्चवली में उजयपूर की वधन खुली गरी पञ्चवली को स्वीकार किया गया। पञ्चवली में डिफ़ी जरी की गरी विस्टट निर्णय प्रथम है लिखवार गए, एवं खुले न्यायालय में सुगार गल पञ्चवली नम्बर है कम हैमर, दारिबल दस्त हकी</p> <p>उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा</p>





राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)**

गौडार्सीन अधिकारी :- अर्जीत सिंह रावौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 50 / 2025

दायर दिनांक 18/09/2023

अनवन

- 01 नया देशी नलि नोननल उर्क नयोन जाति धाकड उम बालिन निवासी डोरिया तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 02 इन्दा देशी नलि जनदेशी वन्द जाति धाकड उम बालिन निवासी डोरिया तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 03 सनलाल निला डूना जाति धाकड उम बालिन निवासी डोरिया तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... वादीगण

बनाम

1. सुभश निला कन्हैयालाल जाति दशंगा उम बालिन निवासी इन्द्रपुरा तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कंकुबाई नलि कन्हैयालाल जाति दशंगा उम बालिन निवासी इन्द्रपुरा तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मुन्धारो जरिये तहसीलदार विजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री जगदीश चन्द्र धाकड - विद्वान अधिवक्ता वादीगण

2. श्री आननकाश धाकड - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**:- निर्णय :-**

दिनांक :- 16 / 09 / 2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि नौजा गान इन्द्रपुरा पटवार हल्का तिलसां स्थित आराजी नं० 221 रकबा 1.6511 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 का 35/204, वादी संख्या 2 का 13/204 व वादी संख्या 3 का 5/51, यानि कुल 1/3 हिस्सा वादीगण के हिस्से की भूमि का पिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन क्रिय जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार विजौलियां से लिया गया। तहसीलदार विजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/784 दिनांक 07/05/2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रात विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी

विजौलियां जिला भीलवाड़ा।

पेज संख्या 02

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाईं** हिस्सा एण्ड बाएण्डस को आबार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षण कार्या ने आपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कारभारकारी अधिनियम अन्वया कण से **डिक्री** किया जाकर निर्मांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजरत अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	गंगा देवी पत्नि नोरतमल 177/344 धाकड बन्दा देवी पत्नि जगदीश 263/1376 धाकड रामलाल पिता डूंगा 405/1376 धाकड सा10 डोबिया खातेदार	इन्द्रपुरा	221/2	0.5504
	योग		खसरा 01	0.5504
02	कलुबाई पत्नि कन्हैयालाल 1/2 दशेगा सुरेश पुत्र कन्हैयालाल 1/2 दशेगा सा10 खातेदार	इन्द्रपुरा	221/1	1.1007
	योग		खसरा 01	1.1007

उक्तानुसार **अन्तिम डिक्री** जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिव की जावे। खर्चा फसलकारन स्वयं अपना - अपना वहन करें।



(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजावियां

निर्णय आज दिनांक 16 / 09 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजावियां